न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./24/2016/बाड़मेर

अपीलांट

सखी मोहम्मद पुत्र गुलु उम्र 48 वर्ष जाति मुसलमान निवासी सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

बनाम

रेसपोडेंटगण

1.बरकत अली पुत्र गुलु खान उम्र 38
2.अहमद पुत्र रोहता उम्र 68 वर्ष जाति मुसलमान निवासीयान सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा, बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर चौहटन के राजस्व वाद संख्या 202/2015 बअनवान सखी मोहम्मद बनाम बरकत अली वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.02.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री पवन सिंहल रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 19.07.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी द्वारा मौजा सेड़वा तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 439/66 रकबा 2 बीघा व खसरा संख्या 440/66 रकबा 36 बीघा कुल रकबा 38 बीघा भूमि जो कि अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है में अपने 1/4 हिस्से की घोषणा करते हुए बंटवाड़ा करवाने हेतु वाद पत्र पेश किया था। उक्त वाद मे उतरदाता संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर ही आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का आवेदन पेश करते हुए यह जाहिर किया कि विवादित आराजी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के यहां 66/95 अनवान सफी मोहम्मद वगै. बनाम सखी मोहम्मद वगै. प्रस्तुत किया था। जिसमे दिनांक 29.09.2000 को निर्णय करते हुए डिक्री पर्चा पारित किया था इसलिये उक्त वाद प्रस्तुत करने से अपीलांट रेसज्डीकेटा के आधार पर वर्जित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों की अनदेखी करते हुए पत्रावली पर आये दस्तावेज एवं तथ्यों की विवेचना किये बिना पारित की गई जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/वादी द्वारा मौजा सेड़वा तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 439/66 रकबा 2 बीघा व खसरा संख्या 440/66 रकबा 36 बीघा कुल रकबा 38 बीघा भूमि जो कि अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है में अपने 1/4 हिस्से की घोषणा करते हुए बंटवाड़ा करवाने हेतु वाद पत्र पेश किया था। अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण की जवाबदावा प्रस्तुत करने के स्टेज पर विचाराधीन था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद की पत्रावली को वाद की प्रक्रिया को अपनाये बिना यथा तनकीयात कायम कर साक्ष्य रेकर्ड पर लेकर व मौके की मौका रिपोर्ट तलब करने के बाद ही वाद को गुणावगुण पर निस्तारित करना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से अपीलांट का वाद दिनांक 04.02.2016 को बिना तथ्यों पर गौर किये खारिज कर दिया। जबकि अपीलांट का हस्तगत वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं है। अपीलांट अपने हिस्से की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अलग बंटवाड़ा करवाना चाहता है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी को लेकर जो हस्तगत वाद पेश किया गया है के संबंध में पूर्व में इन्हीं पक्षकारों के मध्य सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के यहां एक राजस्व वाद संख्या 66/95 प्रस्तुत किया गया था तथा उसमें दिनांक 29.09.2000 को डिक्री पारित हो गई। उपरोक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष एक अपील बअनवान सफी मोहम्मद वगै. बनाम सखी मोहम्मद वगै. पेश हुई जिसमें दिनांक 21.07.2015 को निर्णय पारित किया जाकर अपीलकर्ता की अपील को खारिज किया गया। इसी दरम्यान एक और वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन्हीं पक्षकारों के मध्य प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलांट द्वारा हस्तगत वाद को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजा सेड़वा तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 439/66 रकबा 2 बीघा व खसरा संख्या 440/66 रकबा 36 बीघा कुल रकबा 38 बीघा भूमि जो कि अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 01 व 02 की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संयुक्त खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है में अपने 1/4 हिस्से की घोषणा करते हुए बंटवाड़ा करवाने हेतु वाद पत्र पेश किया गया। मूल वाद के संलग्न जमाबंदी के अनुसार वर्तमान में भी अपीलांट का हिस्सा जमाबंदी में संयुक्त दर्ज है। अपीलांट अपने हक हिस्से की भूमि को अलग करवाने का अधिकारी ठहरता है। अपीलांट को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी तकनीकी बिंदुओं के आधार पर पारित किया गया है। अपीलांट को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन के राजस्व वाद संख्या 202/2015 बअनवान सखी मोहम्मद बनाम बरकत अली वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.02.2016 को निरस्त कर मामला इस निर्देष के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत वाद में उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.09.2021 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख समय पर निर्णय प्रति सहित लौटाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 19.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर